

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : अंकित कुमार सिंह (आई.ए.एस)

प्रकरण संख्या :-39/2025

जीसीएमएस नं.-2025/207

दायर दिनांक :-17.02.2025

निर्णय दिनांक :-04.02.2026

श्री बाबुलाल पिता श्री धुला ननोमा निवासी-गामडी अहाडा तहसील-गामडी अहाडा

प्रार्थी

बनाम

1. श्री बाबुलाल पिता श्री हकरा मलवात
2. श्रीमती शांता पत्नि श्री बाबुलाल मलवात  
निवासीयान-गामडी अहाडा तहसील-गामडी अहाडा
3. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील गामडी अहाडा, जिला डूंगरपुर

विपक्षीगण



उपस्थिति :-

1. श्री कृष्णराज सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री अमृतलाल पंचाल, अधिवक्ता विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14 (4)

राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970

--: निर्णय ::--

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विपक्षीगण संख्या 1 व 2 निवासीयान गामडी अहाडा, तहसील गामडी अहाडा, जिला डूंगरपुर को मौजा गामडी अहाडा की आराजी नम्बर 96 में रकबा 0.1600 हैक्टेयर भूमि मिसल नम्बर 2611/21 से आवंटित हुयी है। विपक्षीगण को आराजी नम्बर 96 में रकबा 0.1600 हैक्टेयर भूमि का आवंटन होने के बाद आवंटित भूमि का नया खसरा नम्बर 5255/5198 रकबा 0.1600 हैक्टेयर कायम हुआ। उक्त आराजी 5255/5198 विपक्षीगण के नाम गैर खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि पर विपक्षीगण का ना तो पूर्व में कभी कब्जा काशत रहा है ना ही वर्तमान में उनका कब्जा है। विपक्षीगण के नाम आवंटित भूमि पर प्रार्थी का कब्जाकाशत उसके पिता धुला ननोमा के समय से करीब 70-80 साल से निरंतर आज दिन तक चला आ रहा है। आवंटन हेतु आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र किस उपखण्ड के उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया इसका अंकन नहीं है। आवेदन पत्र किस दिनांक को किस स्थान पर प्रस्तुत किया यह भी अंकन नहीं है। नियमानुसार आवंटन मजमें आम में किया जाना होता है लेकिन आवेदकगण द्वारा आवेदन किस स्थल पर लगे कैम्प में प्रस्तुत किया यह अंकन ही नहीं है इससे साबित होता है। कि आवेदन चोरी-छिपके प्रस्तुत हुआ है। उक्त आवेदन पत्र में आवेदक विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम लिखे हुए है लेकिन जहां आवेदकों के हस्ताक्षर करने होते है वहां केवल एक अंगुठा निशानी है। यह अंगुठा निशानी किसकी है, यह भी अंकन नहीं है। इससे जाहिर है कि दोनो आवेदकगण/विपक्षीगण द्वारा साथ-साथ उपस्थित होकर कैम्प में आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। विपक्षीगण भूमिहीन कृषक की श्रेणी में नहीं आते है। विपक्षीगण के नाम पर तथा उनके खाते में पर्याप्त भूमि स्थित है। फिर भी विपक्षीगण को भूमिहीन कृषक मानकर उन नियमों के तहत राजकीय कृषि भूमि आवंटित कर दी गयी जो नियम भूमिहीन काशतकारों को भूमि आवंटन हेतु बनाये गये है। विपक्षीगण के नाम आवंटित आराजी नम्बर 5255/5198 रकबा 0.1600 हैक्टेयर प्रार्थी के खाते की आराजीयात के पास स्थित है। विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम आवंटित आराजी नम्बर 5255/5198 रकबा 0.1600 हैक्टेयर पर आवंटन से पूर्व या बाद में विपक्षीगण का कभी कब्जा नहीं रहा ना ही आवंटन के बाद विपक्षीगण ने कभी काशत की है। विपक्षीगण ने आवंटन नियमों की आज दिन तक पालना नहीं की है। आवंटन के बाद विपक्षीगण को आवंटित भूमि का कब्जा भी सुपुर्द नहीं किया गया है। आवंटन के पश्चात नियम 20 की पालना नहीं की गयी है। वर्तमान में भी प्रार्थी उक्त तथाकथित आवंटित की गयी भूमि पर काबिज है। यह आश्चर्यजनक है कि निर्णय आवंटन भूमि सलाहकार समिति के आदेश में ना तो मिसल नम्बर लिखा है, ना दायर दिनांक लिखी है तथा ना ही कैम्प का स्थान लिखा है। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त आवंटन मात्र कागजी होकर औपचारिक है। विपक्षीगण को तथाकथित आवंटित भूमि जिसका वर्तमान खसरा संख्या 5255/5198 है इस पर प्रार्थी अपने परिवार के साथ खेती करता है तथा उक्त आराजी में प्रार्थी गेंहू तथा चना की खेती करता है तथा उपज प्राप्त करता है। उक्त आराजी में प्रार्थी का मकान भी बना हुआ है जिससे वह परिवार सहित

जिला कलक्टर  
डूंगरपुर

निवास करता है। उक्त आराजी में प्रार्थी का योरवेल खुदा हुआ है तथा श्री फेज विद्युत कनेक्शन कृषि उपयोग हेतु प्रार्थी के नाम से ले रखा है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ, लाईट विल आदी दस्तावेज से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी उक्त भूमि पर काबिज है। इस प्रकार उक्त भूमि Unoccupied भूमि की श्रेणी में नहीं आती है जो आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं थी। आवंटन से पूर्व किन-किन भूमियों का आवंटन किया जायेगा इस बाबत उद्घोषणा की जानी आवश्यक है तथा उद्घोषणा का प्रकाशन दृश्यमान स्थलों पर किया जाना था परन्तु आवंटन से पूर्व उक्त खसरा संख्या 96 के संबंध में किसी प्रकार की उद्घोषणा नहीं की गयी। यदि उद्घोषणा की गयी होती तो प्रार्थी जो कि तथाकथित आवंटित भूमि पर अपने पिता के जीवनकाल से 70-80 वर्षों से काबिज है, उसके द्वारा भी आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता। विपक्षी संख्या 1 व 2 के द्वारा भूमि आवंटन नियमों की पालना नहीं की गयी है। उक्त कागजी तौर पर किये गये आवंटन को निरस्त किया जाना आवश्यक है। विपक्षीगण को वर्तमान में खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं हुए है ऐसी स्थिति में मौका निरीक्षण हेतु सक्षम अधिकारी नियुक्त किये जावे तथा इस बाबत प्रार्थी द्वारा दौरेने विचारण पृथक से प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा। विपक्षीगण ने Fraud व Misrepresentation के जरिये भूमि का आवंटन करा लिया है जो निरस्त/खारिज किये जाने योग्य है। आवंटी भूमिहीन कृषक नहीं है उसके खाते में मौजा गामडी अहाडा में कृषि भूमि स्थित है। उक्त खसरा संख्या 96 में विपक्षी संख्या 1 व 2 के साथ-साथ विपक्षी संख्या 1 के भाई वसु उसकी पत्नि मंजुला, विपक्षी संख्या 1 के अन्य भाई बंशी एवं उसकी पत्नि शांती को भी आवंटन कर दिया गया है। तीनों भाईयो को खसरा संख्या 96 में 0.1600 हैक्टेयर, 0.1600 हैक्टेयर एवं 0.1600 हैक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया है जबकि आवंटीयो का उक्त आराजी खसरा संख्या 96 पर कभी कब्जा काशत रहा ही नहीं है ना ही वर्तमान में उनका कब्जा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवंटन मिसल नम्बर 2611/21 जिसके जरिये मौजा गामडी अहाडा का खसरा संख्या 5255/5198 रकबा 0.1600 हैक्टेयर कृषि भूमि विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम आवंटित होकर उनके नाम गैर खातेदारी दर्ज है, उक्त आवंटन को निरस्त हेतु प्रार्थना पत्र अर्न्तत नियम 14 (4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के तहत प्रस्तुत किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस जवाब देही तलव किया गया। अधिवक्ता विपक्षीगण संख्या 1 व 2 द्वारा के प्रस्तुत जवाब में विपक्षीगण को आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष मजमा-ए-आम में विधि अनुसार आवंटन किया गया है। आवंटन नियमानुसार विधि सम्मत एवं आवंटन की सभी शर्तों का पालन करके किया गया है। उक्त आवंटन शुदा भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नहीं रहा है। बल्कि विपक्षीगण आज भी उस भूमि पर काबिज होकर काशत करते हुए आवंटन की सभी शर्तों को पालन कर रहे है। विपक्षीगण ने काफी वृक्षारोपण भी किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। तहसीलदार के प्रस्तुत जवाब में प्रतिवादी बाबुलाल पिता हकरा के नाम उपरोक्त भूमि के अलावा मौजा गामडी अहाडा के खाता क्रमांक 692 खसरा नम्बर 1383 रकबा 0.32 हैक्टेयर हिस्सा 1/4 है जो कि पैतृक भूमि हकरा पिता काला फौत होने से विरासती इन्तकाल 23/62 दिनांक 25.02.2024 को रेकार्ड दर्ज हुई है। प्रतिवादी बाबुलाल पिता हकरा के नाम आवंटित भूमि खसरा नम्बर 5255/5198 के पास में ही परिवारी बाबुलाल पिता धुला के नाम रेकार्ड दर्ज भूमि है। विपक्षी के नाम आवंटित भूमि खसरा नम्बर 5255/5198 पर आवंटन के बाद लगातार कब्जा व बाडा है। तथा मौके पर बाडा होने से आवंटन नियमों की पालना हो गई है। प्रार्थीगण का विप्रार्थीगण को आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने पर स्वीकार योग्य है।

उभयपक्षों की बहस सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि विपक्षीगण भूमि हिन कृषक नहीं है उसके खाते में मौजा गामडी अहाडा में कृषि भूमि स्थित है जिसकी भूमिधारी तहसीलदार के जवाब से भी इसकी पुष्टि होती है। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपने जवाब को दौहराते हुए विपक्षीगण को आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष विधि अनुसार आवंटन किया गया है। आवंटन नियमानुसार विधि सम्मत एवं आवंटन की सभी शर्तों का पालन किया गया है। उक्त आवंटन शुदा भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नहीं रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जावे।

मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र, अभिलेखों के अवलोकन तथा उपलब्ध तथ्यों एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के परीक्षण उपरांत यह स्पष्ट होता है कि विपक्षीगण के नाम आवंटित भूमि खसरा नं. 5255/5198 पर आवंटन के पश्चात से उनका निरंतर कब्जा है तथा आवंटन नियमों का विधिवत पालन किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा मिसल नम्बर 2611/21 मौजा गामडी अहाडा के खसरा सं. 5255/5198 रकबा 0.1600 हैक्टेयर विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम आवंटित कृषि भूमि के आवंटन निरस्तीकरण हेतु प्रार्थी द्वारा आवश्यक विधिक आधार एवं ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अस्वीकार करते हुए खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.02.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।



(अंकित कुमार सिंह),  
जिला कलक्टर,  
दुर्गपुर